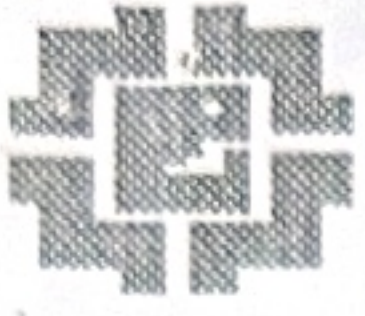




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2025/डी-3536

दिनांक 25-25

बृजलाल धाम डवलपर्स एलएलपी जरिये पार्टनर  
श्री रणजीत सिंह चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी  
निवासी नाडा वाला की ढाणी,  
ग्राम निमेडा झोटवाडा, जयपुर

विषय :- ग्राम बैगस तहसील कालवाड के खसरा नम्बर 1031/848, 1036/847, 1038/849, 1040/368, 1042/841 कुल किता 05 रकबा 1.9806 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "गोविन्द विहार" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम बैगस तहसील कालवाड के खसरा नम्बर 1031/848, 1036/847, 1038/849, 1040/368, 1042/841 कुल किता 05 रकबा 1.9806 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "गोविन्द विहार" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 391वीं बैठक दिनांक 01.04.2025 को किया जा चुका है। अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्डों को जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त कराकर किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलग्न है।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena  
Designation Deputy Commissioner

Date: 2025.05.02 10:04:01 IST

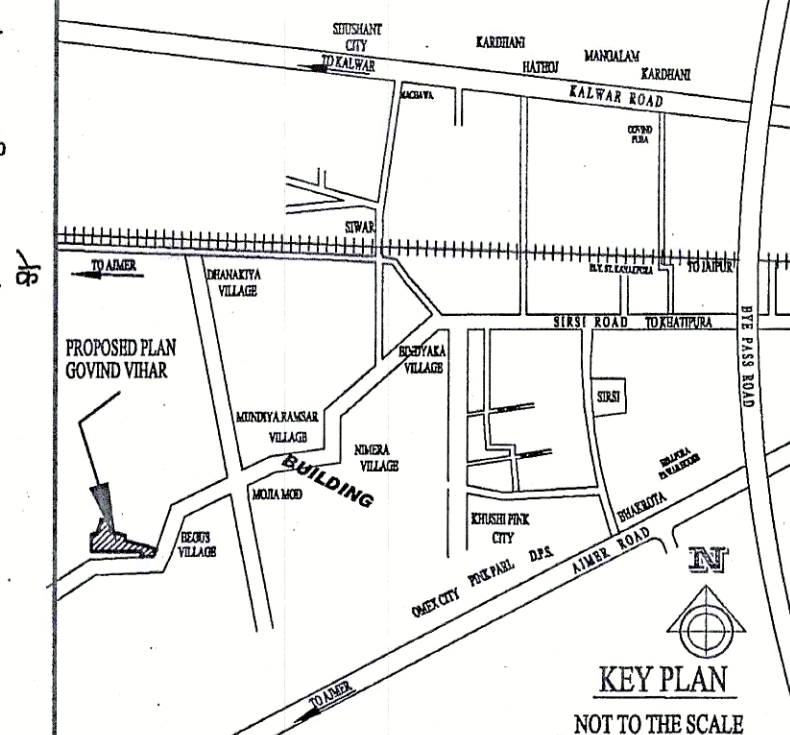
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर  
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सट. 8940 फ़ैक्स - +91-141-2574555

# LAY-OUT PLAN OF GOVIND VIHAR KHASAR NO.-1031/848, 1036/847, 1038/849, 1040/368 & 1042/841 AT- VILLAGE- BEGUS, TEHSIL-KALWAR, JAIPUR

J.D.A.  $\frac{1570}{8} = 196.25$

NOTE -  
योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 4 को मूलतः 3 मीटर पट्टा भाग प्राप्त होने के पश्चात ही उत्तर भूखण्डों की लीजडीज जारी की जाएगी।  
उपरोक्त भूखण्डों के आसने स्थित 30 मीटर सड़क टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसंधान विभाग के पश्चात ही उत्तर भूखण्डों पर 30 मीटर सड़क के मापदण्ड लागू किए जावेंगे अन्यथा विद्यमान सड़क 9 मीटर के अनुसार ही आवधान लाईज होगी।  
अतः का अंकन जारी होने वाले उत्तर भूखण्डों की लीजडीज ATP (BPL-LP) पर किया जावे।



1.9806 HECTARES

TOTAL SCHEME AREA = 19806.00 SQ.MT

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार नूतन अवस्थिति योजना की विनियमन  
1. कुल अवस्थिति भूखण्ड = 125  
2. कुल इकाई = 1

गोके के अनुसार योजना का नूतन उपयोग व तकनीकी विवरण

| क्र.सं. | नूतन उपयोग          | क्षेत्रफल SQ.MT | प्रतिशत |
|---------|---------------------|-----------------|---------|
| 1       | RESIDENTIAL         | 11864.42        | 58.89   |
| 2       | INFORMAL COMMERCIAL | 410.63          | 02.07   |
| 3       | S.W.M               | 67.14           | 00.34   |
| 4       | MOBILE TOWER        | 24.58           | 00.12   |
| 5       | PARK                | 994.50          | 05.02   |
| 6       | ROAD                | 6644.73         | 33.56   |
|         | TOTAL SCHEME AREA   | 19806.00        | 100.00  |

NAME OF SOCIETY : PRIVATE DEVELOPER

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF GOVIND VIHAR

ZONE NO. = 12

SCALE 1 : 5 MT DRG. NO.

A.T.P. D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

For M/s Shree Vinayak Associates  
SURWAY / DRG. BY :-  
Proprietor  
SHREE VINAYAK ASSOCIATES  
KHATIPURA MODE, BORSI ROAD, KHATIPURA, JAIPUR.  
PH- 0141-2356499, 4007644 MOBILE- 9331305411  
Email- vrash@shreevinayak.com

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
  - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 10.03.2025 को हो चुकी है।
  - योजना की भूमि में रा.भू.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
  - टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4 से 9, 34 से 39 कुल भूखण्ड 12 कुल क्षेत्रफल 1555.20 वर्गमीटर है, को जविप्र में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
  - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 391 वीं बैठक दिनांक 01.04.2025 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
  - इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 28.11.2021 के अनुसार जावेगा।
  - योजना का उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 में आवासीय दर्शित है।
  - योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
  - बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्र (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
  - योजना के एक ही लॉट से उत्पन्न भूखण्डों की लीजडीज एक ही लॉटन ही जारी की जावेगी।

सहायक नगर नियोजक  
विशेष प्रमुख  
सहायक नगर नियोजक जोन-12  
ज.वि.प्र. जयपुर

तहसीलदार  
जोन-12  
नगर विकास प्राधिकरण जयपुर  
(कोमल शर्मा)

उपायुक्त  
जोन-12  
नगर विकास प्राधिकरण जयपुर  
(डॉ. राजेश कुमार मीठा)

वरिष्ठ नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)  
(महावीर सिंह)

अतिरिक्त नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)  
BPC (LP)

